

# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 191/2018

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोडेन्ट

आईदानराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट  
निवासी भटनोखा तहसील मुण्डवा  
जिला नागौर।

राज.सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :-

1. श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:01.08.19

{1}-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 57/2018 सरकार बनाम आईदानराम में निर्णय दिनांक 20.07.18 के तहत मौजा भटनोखा के खसरा नं. 431 रकबा 0.01 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.08.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.08.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 57/18 सरकार बनाम आईदानराम की पत्रावली की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।


{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

{2}(II)-पटवार हल्का हिलौडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पटवार हल्का ने अपीलान्ट का कब्जा संवत 2075 के अतिरिक्त पिछले वर्ष संवत 2074 में अपीलान्ट को बेदखल करने का लिखा है, किन्तु इस संबंध में किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य, फोटोग्राफ्स, गवाहान के बयान व अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध पूर्व में बेदखल करने की स्थिति को बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के साबित मानकर अपीलान्ट को पश्चातवृत्ति अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास के दण्डादेश से दण्डित करने का आदेश जैर अपील पूर्णतया गलत अनुचित व अवैध है। पश्चातवृत्ति अतिक्रमी से पूर्व अपीलान्ट का अतिक्रमी के रूप में होना और उसको पूर्व में विधिवत रूप से बेदखल किया जाना प्रमाणित होना आवश्यक था, उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(III)-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को युक्तियुक्त रूप से साक्ष्य सबूत व जवाबदेही का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है, दिनांक 02.07.18 को अपीलान्ट का नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ, अंकित किया गया है, जबकि अपीलान्ट को ऐसा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ तथा आगे पत्रावली दिनांक 20.07.18 को नियत कर अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जबकि अपीलान्ट को युक्तियुक्त रूप से उसके हितों को देखते हुए न्याय हित में साक्ष्य, सबूत व



  
अपर कलक्टर, नागौर

जवाबदेही के लिये पर्याप्त समय दिया जाना न्यायोचित था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने केवलमात्र औपचारिकता पूर्ण तरीके से अपीलांट की अनुपस्थिति के आधार मात्र से ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, इस प्रकार उक्त निर्णय जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए एकपक्षीय रूप से पारित निर्णय है, जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(IV)-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के कथनो व रिपोर्ट की तुष्टि करने का प्रयास तक नहीं किया गया, केवलमात्र पटवार हल्का के अपुष्ट कथनो व रिपोर्ट को गलत प्रकार से आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, अधीनस्थ न्यायालय ने इन समस्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए केवलमात्र पटवार हल्का हिलोडी के आवेदन के आधार पर अपीलांट के विरुद्ध उक्त निर्णय जैर अपील पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)-अपीलार्थी को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी के रूप में परिभाषित करते हुए तमाम कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय व पटवार हल्का हिलोडी द्वारा अमल में लाई गई है, जबकि अपीलार्थी का मौके पर संवत् 2075 में कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा, न ऐसी कोई स्पष्ट व संगत साक्ष्य ही रही, पटवार हल्का व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की तह तक पहुंचे बगैर तथा मौका स्थिति की साम्यता को परखे बगैर गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से संपूर्ण कार्यवाही कर बगैर किसी साक्ष्य के तथा अपीलार्थी को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर आदेश जैर अपील पारित किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)-वास्तविक स्थिति तो यह है कि अपीलांट का खसरा नं. 431 के किसी भी भू भाग पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं है, मौके की स्थिति का अधीनस्थ न्यायालय व पटवार हल्का हिलोडी ने कोई जायजा, मुआयना किये बगैर कार्यालय में बैठकर गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से पुनरावृत्त कब्जा मानकर आदेश जैर अपील पारित किया है, अपीलांट का खसरा नं. 431 की एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने रिपोर्ट के संलग्न किसी स्वतंत्र गवाह के बयान प्रस्तुत नहीं किये, न ही किसी प्रकार से अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य, फोटोग्राफ्स इत्यादि सम्यक साक्ष्य ही प्रस्तुत की, अपितु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर तो दूर अपीलांट को नोटिस की सम्यक तामील तक नहीं करवायी गई व अपीलांट के विरुद्ध शास्ति व दण्डादेश का आदेश पारित किया है, जो गलत, अनुचित व विधि विरुद्ध रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए पारित किय गया होने से खारिज किये जाने योग्य है।


{2}(VII)-अपीलांट के खिलाफ निर्णय जैर अपील पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं. 441/17 के द्वारा अपीलांट को पूर्व में बेदखल करने और पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जबकि प्रकरण सं. 441/17 में अपीलांट को बेदखल करने के बाबत कोई फर्द व दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में बेदखली करने के उपरांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जो निर्णय जैर अपील पारित किया है, वो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(VIII)-अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की संबंध में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्रोपर तामील किये बिना ही व्यक्तिगत तामील किये बिना ही अपीलांट की तामील विधि विरुद्ध रूप से करवाकर तामील कुनिन्दा ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है, क्योंकि अपीलांट गांव भटनोखा में उपस्थित ही नहीं था, तो उसकी तामील का प्रयास नहीं करवाकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। इस कारण से तामील की संपूर्ण प्रक्रिया ही विधि विरुद्ध है एवं व्यक्तिगत तामील नहीं होने से आदेश 9 सीपीसी की पालना संपूर्ण रूप से नहीं करवाने से व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं देने से भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(IX)-वकील अपीलांट द्वारा आगे तर्क दिया गया कि अपीलांट ने आराजी भूमि से स्वतः अतिक्रमण हटा लिया है। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.07.18 से भी होती है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जानी चाहिये।

{3}-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा भटनोखा में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।




  
अपर क्लर्क नागौर

{4}- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भटनोखा के खसरा नंबर 431 रकबा 0.01 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोगी भूमि होने से नियमन योग्य भी नहीं है तथा अब आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा भी लिया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील के तहत बेदखली व जुर्माना पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परंतु सजा के बिन्दु नरम रूख अपनाया जाना उचित है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील के तहत बेदखली व जुर्माना का आदेश यथावत कायम रखा जाता है। सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलांट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलांट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नहीं। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी।

{6}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(मनोज कुमार )  
अपर क्लर्क, नागौर  
नागौर